राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

स्थापना विभाग, मुख्यालय

हौज़ ख़ास, नई दिल्ली

संख्या: 1289(8105)/NIFT-HO/Estt.-APAR Timeline Academic (HO)/2025 **31 जुलाई, 2026**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सी एम एस पोर्टल पर शैक्षणिक पदों के संबंध में ऑनलाइन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (ए पी ए आर) प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा के विस्तार के संबंध में।

इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 सितम्बर, 2025 के क्रम में यह देखा गया है कि अनेक रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी तथा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सी एम एस पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर ए पी ए आर कार्यप्रवाह (Workflow) पूर्ण नहीं किया गया है ।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से, वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की लंबित ऑनलाइन ए पी ए आर प्रविष्टियों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से एकमुश्त विशेष उपाय (One-time Special Measure) के रूप में ए पी ए आर पूर्ण करने की प्रक्रिया को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित समय-सीमा में आगे किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः सभी संबंधित अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संशोधित समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित ए पी ए आर अनिवार्य रूप से पूर्ण करें ।

3. तदनुसार, उपरोक्त अवधियों हेतु ऑनलाइन ए पी ए आर प्रक्रिया पूर्ण करने की संशोधित समय-सारिणी निम्नानुसार है : -

क्रम सं.	समय-सारिणी	शैक्षणिक कर्मचारी (संकाय सदस्य)	
		विंडो प्रारम्भ	विंडो बंद
1.	सी एम एस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा ए पी ए आर को समीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित करना ।	03 अगस्त 2026	17 अगस्त, 2026
2.	सी एम एस पोर्टल के माध्यम से समीक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य पूर्ण करना ।	18 अगस्त 2026	01 सितम्बर, 2026
3.	स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहाँ भी लागू हो ।	02 सितम्बर 2026	16 सितम्बर, 2026

कृ. पृ. उ

4. सभी रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी तथा स्वीकृति अधिकारी उपरोक्त समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। संशोधित समय-सारिणी का अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ए पी ए आर प्रक्रिया को पुनः खोलने अथवा निर्धारित समय-सीमा में किसी भी प्रकार का विस्तार प्रदान किए जाने का कोई अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी अथवा स्वीकृति अधिकारी संशोधित निर्धारित समय-सीमा के भीतर ए पी ए आर अभिलिखित (Record) करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में सी एम एस पोर्टल द्वारा, यथास्थिति, **'नो रिपोर्ट प्रमाण-पत्र', 'नो असमीक्षा प्रमाण-पत्र' अथवा 'नो अस्वीकृति प्रमाण-पत्र'** ऑटो जनरेट (Auto Generate) कर संबंधित ए पी ए आर में संलग्न कर दिया जाएगा।

5. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

राहुल

(प्रो. डॉ. राहुल चंद्रा)
पंजीयक

सेवा में :

1. सभी परिसर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक।
2. सभी परिसरों के स्थापना विभाग।
3. निफ्ट के सभी संकाय सदस्य।
4. प्रमुख (ई आर पी) : सी एम एस पोर्टल की सतत निगरानी करने तथा ऑनलाइन ए पी ए आर पोर्टल के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियमित अद्यतन (Updates) उपलब्ध कराने का अनुरोध।

प्रतिलिपि :

1. डीन (शैक्षणिक)
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वि ओ)
3. निदेशक (मुख्यालय) / निदेशक (वित्त एवं लेखा)
4. सभी यूनिट्स के प्रमुख / सभी शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष
5. उप निदेशक (आई टी) / उप निदेशक (एन आर सी)
6. ए बी एस एवं विधि अधिकारी
7. महानिदेशक के के निजी सचिव
8. गार्ड फाइल